

थाना रोजा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा,

03 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब, एल्कोहल, रिप्रट आदि बरामद।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब का कारोबार करने व अवैध शराब का निष्कर्षण करने वाले विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार के निर्देशन एवं श्री अरविन्द कुमार क्षेत्राधिकारी सदरर के पर्यवेक्षण तथा श्री जयशंकर थानाध्यक्ष रोजा के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 27.08.21 की शाम को थाना रोजा पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर रोजा रेलवे कालोनी में पुराने खण्डर नुमा मकान में औचक छापेमारी कर 1. अंशू 2. पवन कुमार उर्फ रवि 3. सोनू सिंह को अपमिश्रित नकली शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया तथा 02 अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके से अल्कोहल व रिप्रट तथा यूरिया के मिश्रण से बनाई जा रही नकली 40 पेटी (1800 क्वार्टर) अवैध शराब सोल्जर ब्रान्ड, तीन ड्रमों में लगभग 150 ली० रेक्टिफाईड रिप्रट, एक जरीकेन में लगभग 100 ली० अपमिश्रित शराब, एक प्लास्टिक के डब्बे में लगभग 10 ली० बनी हुई अपमिश्रित शराब, 95 अदद नकली ढक्कन, 64 अदद नकली क्यू आर कोड, एक बोतल में लगभग 600 मी०ली० कैरेमेल कलर, सोल्जर के रैपर लगे 195 खाली क्वार्टर, एक बोरी में लगभग 8 कि.ग्रा० यूरिया व एक बुलेट मोटरसाईकिल बिना नम्बर की बरामद की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :

1. अंशू गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला गांधीनगर जलालाबाद, शाहजहाँपुर।
2. पवन कुमार उर्फ रवि पुत्र रामकिशोर निवासी फतेहगंज पूर्वी सुभाष नगर कालोनी, बरेली।
3. सोनू सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी मोहल्ला गांधीनगर जलालाबाद, शाहजहाँपुर।

फरार अभियुक्तगण :

1. रामजी गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता निवासी मोहल्ला गांधीनगर जलालाबाद, शाहजहाँपुर।
2. जीतू निवासी मोहल्ला गांधीनगर जलालाबाद, शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण :

1. नकली 40 पेटी (1800 क्वार्टर) शराब सोल्जर ब्रान्ड
2. तीन ड्रमों में लगभग 150 ली० रेक्टिफाईड रिप्रट
3. एक जरीकेन में लगभग 100 ली० अपमिश्रित शराब
4. एक प्लास्टिक के डब्बे में लगभग 10 ली० बनी हुई अपमिश्रित शराब
5. 95 अदद नकली ढक्कन
6. 64 अदद नकली क्यू आर कोड
7. एक बोतल में लगभग 600 मी०ली० कैरेमेल कलर
8. सोल्जर के रैपर लगे 195 खाली क्वार्टर
9. एक बोरी में लगभग 8 कि.ग्रा० यूरिया
10. एक बुलेट मोटरसाईकिल बिना नम्बर

गिरफ्तारी पूछताछ –

थाना रोजा पुलिस के फोर्स तथा आबकारी टीम की संयुक्त छापेमारी की गयी तो रोजा रेलवे कालोनी मे स्थित एक पुराने खण्डहर मकान के अन्दर तीन व्यक्ति स्पिट, एल्कोहल तथा कलर व यूरिया के मिश्रण से नकली शराब बनाते हुए पकड़े गये। जो कि अपमिश्रण करके शराब को सोल्जर ब्रान्ड के क्वार्टर मे पैकिंग कर उन्हें शराब की पेटियों मे बन्द कर रहे थे। उक्त नकली शराब की मौके पर तैयार 40 पेटी जिनमे 1800 क्वार्टर बरामद हुआ। क्यू आर कोड चैक किया गया तो फर्जी पाया गया तथा क्वार्टर भी पुराने इस्तेमाली प्रतीत हुए। मौके पर दो व्यक्ति तैयार शराब की पेटियों को मोटरसाईकिल पर लाद कर सप्लाई करने जा रहे थे। जो कि पुलिस पार्टी को देखकर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने मे सफल रहे। मौके पर पकड़े गए उपरोक्त तीनों व्यक्तियों से पूछताछ मे बताया कि गिरोह का सरगना अंशू गुप्ता है जो कि अत्यन्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा विगत कई वर्षों से अल्कोहल, यूरिया, स्पिट, थिनर व कलर द्वारा नकली मिश्रित शराब बनाई जा रही है। उक्त मिश्रित शराब को यह लोग सोल्जर ब्रान्ड के क्वार्टर मे भर कर असली के रूप मे बार कोड व रैपर लगाकर ढक्कन को सील किया जाता है तथा ठेकों से सोल्जर ब्रान्ड के गत्ते प्राप्त करके उन्ही गत्तों मे पैक कर गांव देहात मे बाजार से कम दाम पर (60-70 रु0 मे) बेंच दिया जाता है। पूछताछ मे यह भी ज्ञात हुआ कि गिरोह का सरगना अंशू गुप्ता बदायूं से स्पिट, थिनर व कैमिकल आदि लाता है तथा फरार अभियुक्त जीतू नकली रैपर व बारकोड की व्यवस्था करता है। फरार रामजी गुप्ता गिरोह का फाइनेन्सर है जो कि काम मे पैसा इनवेस्ट करता है। सोनू ठेकों से इस्तेमाली क्वार्टर की व्यवस्था करता है जो कि 400 रु0 मे 1000 क्वार्टर बेंचता है। उल्लेखनीय यह भी है कि गिरोह के सदस्य अत्यन्त शातिर किस्म के हैं जनपद व अन्य सीमावर्ती जनपदों मे जगह बदल-बदल कर शराब बनाते हैं। इसके लिये यह लोग प्रायः एकांत मे खाली पड़े खण्डहर मकान का चयन करते हैं और एक जगह पर मात्र एक ही बार काम करते हैं। उसके बाद ग्राहक तय होने पर अपना ठिकाना बदल देते हैं। इस प्रकार काफी समय से काम करने के बावजूद भी यह लोग कभी पकड़े नहीं गये। पूछताछ मे यह भी बताया कि 200 रु0 ली0 के हिसाब से कैमिकल खरीदते हैं और एक लीटर कैमिकल मे 5 क्वार्टर बनाते हैं। इस प्रकार प्रति लीटर लगभग 200 रु0 तक बचत होती है।

उल्लेखनीय यह भी है कि घटना मे संलिप्त सोनू सिंह व पवन उर्फ रवि शराब के ठेकों पर पूर्व मे सेल्समैन भी रह चुके हैं तभी इन्हे नकली शराब बनाने व विक्रय करने मे आसानी रहती है। बदायूं से कैमिकल सप्लाई करने वाले व्यक्ति के बारे मे विवरण इकट्ठा कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जबकि घटना मे फरार रामजी गुप्ता व जीतू की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.थाना प्रभारी जयशंकर सिंह थाना रोजा
2. आबकारी निरीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता मय टीम
3. व0उ0नि0 सुदीश सिंह सिरोही थाना रोजा
- 4.उ0नि0 राजेश बाबू मिश्रा थाना रोजा
5. उ.नि. नीरज कुमार सिंह थाना रोजा
5. हे0का0 143 विजय सिंह थाना रोजा
6. हे0का0 380 अजमेर सिंह थाना रोजा
7. का0 हर्ष थाना रोजा